UPJB010060012022

Presented on : 07-10-2022
Registered on : 07-10-2022
Decided on : 20-10-2022
Duration : 0 years, 0 months, 13 days

IN THE COURT OF
Additional District and Sessions Judge / Special Judge (POCSO Act) - 2
AT ,Jyotiba Phule Nagar (Amroha)
(Presided Over by SMT. KUSUM LATA)

Bail Application/2224/2022

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधि०) कक्ष-2 अमरोहा।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2224 सन 2022
आवेदक/ अभियुक्त गौतम बनाम उ० प्र० राज्य
अपराध संख्या 131 सन 2016, विशेष सत्र परीक्षण संख्या 41 सन 2016
धारा- 323, 376, 452, 506 भा०दं०सं० व 3/4 पॉक्सो एक्ट
थाना- बछरायूं जनपद अमरोहा।

20.10.2022:- यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त गौतम पुत्र श्री भूप सिंह की ओर से अपराध संख्या 131 सन 2016, विशेष सत्र परीक्षण संख्या 41 सन 2016, धारा- 323, 376, 452, 506 भा०दं०सं० व 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना- बछरायूं जनपद अमरोहा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत मामले में न्यायालय प्रार्थी पूर्व से जमानत पर है वह वारन्ट पर दिनांक 30.08.2022 से अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार मुरादाबाद में निरूद्ध है।

अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत कर कहा गया है कि प्रार्थी को उपरोक्त अभियोग में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नही किया है। और प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है। प्रार्थी ने किसी के भी घर में घुसकर किसी भी नाबालिग के साथ मारपीट नही की है और न ही किसी के साथ बलात्कार किया है और ना ही किसी को जान से मारने की धमकी दी है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। जो साक्षी है व हितबद्ध साक्षी है। प्रार्थी का कोई अपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी वारंट पर चला गया है प्रार्थी पूर्व में जमानत पर था प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इस प्रार्थना पत्र के अलावा प्रार्थी का कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी फौजदारी न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लम्बित नही है और न ही निरस्त हुआ है। प्रार्थी न्यायालय के आदेशों एवं निर्देशों का पालन करेगा तथा जमानत का दुरूपयोग नही करेंगा। अभियुक्त दिनांक 30.08.2022 से जिला कारागार मुरादाबाद में निरूद्ध हैं। जमानत की याचना की गयी है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुनी तथा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। तथा अभियुक्त के अनुपस्थित होने के कारण उसके विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किये गये है। अभियुक्त वारंट पर जेल गया है। प्रस्तुत मामलें में अभियुक्त जिला कारागार में दिनांक 30.08.2022 से निरूद्ध है। अभियुक्त की ओर से आश्वासन दिया गया है कि वह भविष्य में नियत दिनांक पर उपस्थित आता रहेगा।

न्यायालय की राय में प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है तथा अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त गौतम का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

Digitally signed by KUSUM LATA
Date: 2022.10.20 12:07:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुबलिग 100,000/- रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इतनी ही राशि के दो प्रतिभू तथा निम्नलिखित आशय की अन्डर टेकिंग प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जायेः-

1- आवेदक / अभियुक्त दौरान विचारण नियत दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा तथा अनावश्यक रूप से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

2- आवेदक / अभियुक्त दौरान जमानत साक्षीगण को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा।

3- आवेदक / अभियुक्त वाद में साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

(कुसुम लता)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ पोक्सो एक्ट, द्वित्तीय

अमरोहा।